संख्या:93/2022/1633/12-2-2022-100(05)/2014

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2022

विषय- फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर में यंत्रों के किराए की दर का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत एफ०पी०ओ०, सहकारी समितियों, पंचायतों द्वारा कृषकों को किराए पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए फॉर्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेण्टर की स्थापना की जाती है। इसी योजना (SMAM) के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभर्थियों द्वारा कृषकों को किराए पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेण्टर की स्थापना की जाती है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इनसीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेजीड्यू योजना के अन्तर्गत एफ०पी०ओ०, सहकारी समितियों, पंचायतों द्वारा कृषकों को किराए पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए फॉर्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य है कि जो गरीब कृषक यंत्र क्रय करने में असमर्थ हैं, वह आसान किराए की दर पर यंत्रों को प्राप्त कर फसल प्रबन्धन का कार्य कर सकते हैं। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि इन संस्थाओं द्वारा मनमाने किराए की दरें वसूल की जा रही हैं, तथा, इसमें एकरूपता नहीं है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन संस्थाओं द्वारा किराए पर दिए जाने वाले समस्त कृषि यंत्रों की किराए की आसान दरें जनपद स्तर से निर्धारित कर दी जाएं, जो बाजार रेट से 20 से 25 प्रतिशत कम हो। उद्देश्य यह है कि कृषकों को आसान दरों पर किराए पर यंत्र उपलब्ध हो सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी संस्था द्वारा जनपद स्तर पर निर्धारित दरों से अधिक दर न ली जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

अनुराग यादव
सचिव।

http://bhoomidesh.up.gov.in

संख्या:93/2022/1633(1)/12-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in